माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 547 / गोपनीय / एम0एस0यू0 / 2023–24 दिनांक: 30.09.2023

एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण एवं प्रोन्नति के नियमः–

एन0ई0पी0– 2020 के सम्बन्ध में निर्गत उ0प्र0 सरकार के शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 976–81 / 06 / एके0 / MSU / 2023–24, दिनांक 22.08.2023 के आलोक में सेमेस्टरवार उत्तीर्ण व प्रोन्नति के नियम निम्नवत् हैं–

1. विषम (Odd) सेमेस्टर में यदि विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरा है तो वह उसी वर्ष की सम सेमेस्टर कक्षा में प्रोन्नत होगा।
2. वार्षिक (विषम+सम सेमेस्टर) में परीक्षा परिणाम इस प्रकार होगा–

उत्तीर्ण (Pass) / अनुत्तीर्ण प्रोन्नत (Fail Promoted) / अनुत्तीर्ण (Fail)

3. सम सेमेस्टर व विषम सेमेस्टर में प्रवेश व प्रोन्नति हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है–
   - 3.1 द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत हेतु प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा फार्म भरना / परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
   - 3.2 तृतीय सेमेस्टर में वही विद्यार्थी प्रवेश पाने के लिये अर्ह होगा, जो प्रथम वर्ष (प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण (Pass) या अनुत्तीर्ण प्रोन्नत (Fail Promoted) होगा।
   - 3.3 चतुर्थ सेमेस्टर में वह सभी विद्यार्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिसने तृतीय सेमेस्टर का विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरा हो / परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।
   - 3.4 पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु वह प्रवेशार्थी अर्ह होंगे जो–
     - a-प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) की सम्पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हों, तथा
     - b-द्वितीय वर्ष (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) की परीक्षा में उत्तीर्ण (Pass) या अनुत्तीर्ण प्रोन्नत (Fail Promoted) हो।
   - 3.5 षष्टम् सेमेस्टर में वह प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिन्होंने पंचम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरा हो / परीक्षा में सम्मिलित हुए हों।
   - 3.6 यदि छात्र किसी भी वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है तो निर्धारित समय–सीमा (प्रवेश से तीन वर्ष अधिकतम) के अन्तर्गत छात्र पूर्व छात्र की भाँति सभी विषयों / प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
   - 3.7 एन0ई0पी0–2020 में बैक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यदि छात्र किसी वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है परन्तु बिन्दु संख्या 3 के प्राविधानानुसार अनुत्तीर्ण (प्रोन्नत) होता है तो ऐसा परीक्षार्थी जिन विषयों / प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण है उन सभी परीक्षा सम व विषम सेमेस्टर में तदनुसार पुनः सम्मिलित होने के लिये अर्ह होगा।

नोटः–एन0ई0पी0–2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्नातक कक्षा के किसी भी वर्ष को पूर्ण करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष होगें। यदि छात्र किसी भी वर्ष (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) को तीन वर्ष में भी पूर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र का उस पाठ्यक्रम में नामांकन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

एन0ई0पी0–2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी को प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर उपाधि प्रदान की जायेगी।

30.IX.23

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. व्यक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान।
3. कुलसचिव।
4. उपकुलसचिव।
5. प्रभारी गोपनीय / प्रभारी परीक्षा।
6. प्रभारी वेबसाइट।
7. गार्ड फाईल।

30.IX.23

परीक्षा नियन्त्रक